उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 90वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 30.12.2024

(पत्रांक –5356–01 / यूपीडा / 08 / 01 / वाल्यूम–11(बोर्ड बैठक)   दिनांक 30.12.2024)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522. 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
UP Expressway Industrial Development Authority
सी-13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010
0522-2307542/2307592, 4004523 फैक्स : 0522-4013560
Email : upeida2 @gmail. Website : https://www.upeida.in com

पत्रांक- 5356-01/यूपीडा/08/01/वाल्यूम-11(बोर्ड बैठक) दिनांक 30.12.2024

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 90वीं बैठक दि0 30.12.2024 का कार्यवृत्त।

बैठक में निदेशक मण्डल के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1. श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव
2. श्री पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग —सदस्य
3. श्री श्रीहरि प्रताप शाही, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सहायक सदस्य/सचिव
4. श्री गिरीश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन —सदस्य
(प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन)
5. श्री अनुराग गुप्ता, विशेष सचिव, वित विभाग, उ0प्र0 शासन —सदस्य
(प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन)
6. श्री रवीन्द्र वीर सिंह, मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण —सदस्य
(प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन)
7. श्री अजय दीप सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 —सदस्य
(प्रतिनिधि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0)

विशेष आमंत्रित प्रतिभागीः-

1. श्री सोमनाथ, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
3. मेजर जनरल इन्द्र मोहन लाम्बा, चीफ नोडल ऑफिसर (डी0आई0सी0), यूपीडा।
4. श्री आर0आर0 सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डि0कॉ0), यूपीडा।
7. श्री विनय प्रकाश, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
8. श्री आर0के चौधरी, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
9. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
10. श्री डी0पी0 सिंह, स्टाफ आफिसर अध्यक्ष एवं विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री सुनील कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
12. कर्नल आर0वी0 सिंह, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
13. श्री अनुराग अस्थाना, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
14. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रो0सेल0), यूपीडा।
15. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रो0सेल0), यूपीडा।
16. श्री सियाराम मौर्या, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
17. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।

18. श्री मनीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
19. श्रीमती मोनिका कुमार, सहायक महाप्रबन्धक, यूपीडा।
20. डा0 के0के0 अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद/नियोजक), यूपीडा।
21. श्री दीपक चतुर्वेदी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 90वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से प्रस्तुत एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु–01:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 89वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।**

निदेशक मण्डल द्वारा 89वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2024 के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए, कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की 89वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को बिन्दुवार अवगत कराया गया।**

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.10.2024 को सम्पन्न हुई 89वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। अनुपालन आख्या के बिन्दु संख्या 2.26– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर **ई–वे हब्स** विकसित करने हेतु प्रस्तावित, **रिक्वेसट फॉर प्रपोजल** के अनुमोदन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कि दिसम्बर 2020 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वे–साईड ऐमेनिटीस का विकास पी0पी0पी0 मोड पर किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं किन्तु एक भी निविदा प्राप्त न होने के कारण टेण्डर निरस्त कर दिया गया था। तत्पश्चात् पुनः नवम्बर 2023 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर डी0बी0एफ0ओ0टी0 आधार पर वे–साइड ऐमेनिटीस स्थापित किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं। जिसके क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित आठ वे–साइड ऐमेनिटीस के सापेक्ष केवल दो स्थानों हेतु एकल निविदा प्राप्त हुयी थी जबकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दो वे–साइड ऐमेनिटीस हेतु तीन निविदायें प्राप्त हुई थीं किन्तु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुयी थी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर दो वे–साइड ऐमेनिटीस विकसित किये जाने के लिये उच्चतम वित्तीय निविदा के आधार पर मेसर्स बी0पी0सी0एल0 को चयनित किया गया था तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया को निरस्त करते हुये वे–साइड ऐमेनिटीस हेतु चिह्नित 10 हे0 भूमि पर छोटे–छोटे प्लाट्स विभाजित कर निविदायें आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उपरोक्त के क्रम में पुनः दिनांक 27.07.2024 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित कुल आठ ई–वे हब्स (80 प्लाट्स) एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर कुल चार ई–वे हब्स (40 प्लाट्स) निम्नवत् विकसित किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं:–

Sl. No.	Plot Details	Area (in Sq.mts.)	Selected Bidder
1	Plot 1, Plot 2 and Plot 3 (Expressway Facing)	5460.00 each	H1
2	Plot 4, Plot 5, Plot 6, Plot 8 and Plot 9	5460.00 each	H1
3	Plot 7 (Wayside Amenities)	8499.00	H1
4	Plot 10 (Trucker's Facilities)	4622.00	H1

उपरोक्त के सापेक्ष्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु 10 निविदाकर्ताओं द्वारा कुल 80 प्लाट्स में से 15 प्लाट्स हेतु आवेदन किये गये थे जिसमें से कुल 10 प्लाट्स हेतु एकल निविदायें प्राप्त हुयीं थीं। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के 40 प्लाट्स में से एक निविदाकर्ता से कुल 2 प्लाट्स हेतु एकल निविदाये प्राप्त हुयीं थी। यूपीडा निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देखण्ड एक्सप्रेसवे पर वे–साईड ऐमेनिटीस विकसित किये जाने हेतु किये गये प्रयासों के परिणामों के आधार पर वर्तमान निविदा में यह शर्त भी सम्मिलित की गयी थी कि "The Lease for a particular Plot may be allotted even in the case of a single Technically Qualified Bidder, at the discretion of the Authority".

यूपीडा निदेशक मण्डल को अग्रेत्तर अवगत कराया गया कि आर0एफ0पी0 अभिलेख में निहित शर्तो के अनुसार नामित समिति द्वारा दिनांक 28.11.2024 को सम्पन्न बैठक में निम्न निविदाकर्ताओं को चयनित किये जाने की संस्तुति की गयी थी:–

Sl. No.	Name of selected bidder	E-Way Hub	Plot No.	Annual lease rent per Sqr. Mtr. in Rs.
Purvanchal Expressway:				
1.	Beacon Enovation Technology	e-way PE H3 at Ch. 108+300 (Sultanpur)	6	168/-
		e-way PE H4 at Ch. 144+300 (Sultanpur)	3	176/-
2.	Dalmia Computer House	e-way PE H4 at Ch. 144+300 (Sultanpur)	7	120/-
3.	Eat Good Ventures Pvt. Ltd.	e-way PE H1 at Ch. 019+150 (Barabanki)	1	195/-
		e-way PE H1 at Ch. 019+150 (Barabanki)	2	195/-
		e-way PE H2 at Ch. 063+000 (Amethi)	2	190/-
4.	Media Matrix	e-way PE H2 at Ch. 063+000 (Amethi)	3	190/-
		e-way PE H3 at Ch. 108+300 (Sultanpur)	3	182/-
		e-way PE H6 at Ch. 230+900 (Azamgarh)	3	155/-
5.	PCS Fintec Consultancy Pvt. Ltd.	e-way PE H5 at Ch. 195+600 (Azamgarh)	3	137.55
6.	Ritesha Distributors	e-way PE H2 at Ch. 063+000 (Amethi)	8	180/-
7.	R.K and Company	e-way PE H3 at Ch. 108+300 (Sultanpur)	1	182/-
8.	Swastik Transmedia Services	e-way PE H1 at Ch. 019+150 (Barabanki)	3	195/-
9.	Udupi Krishna Restaurants	e-way PE H2 at Ch. 063+000 (Amethi)	6	180/-
10.	Maa Durga Construction Company	e-way PE H1 at Ch. 019+150 (Barabanki)	6	198/-
Bundelkhand Expressway:				
11.	Maa Durga Construction Company	E-way BE H1 at Ch. 70+500 (Banda)	3	144/-
		E-way BE H3 at Ch. 179+050 (Jalaun)	3	177/-

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही एवं एकल निविदा के आधार पर सफलतम निविदाकर्ता के चयन से अवगत होते हुये यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उक्त पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

<u>एजेण्डा बिन्दु–03:–</u> **<u>स्कूली शिक्षा व्यवस्था में ट्रान्सफॉरमेटिव सुधार हेतु स्कूल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण/क्रय की कार्यवाही यूपीडा द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

निदेशक मण्डल द्वारा ''स्कूली शिक्षा व्यवस्था में ट्रान्सफॉरमेटिव सुधार हेतु स्कूल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण/क्रय की कार्यवाही यूपीडा द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में'' सहमति विषयक अनुमोदन प्रदान किया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–04:–</u> **<u>यूपीडा के इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत भू–खण्ड आवंटन हेतु दर निर्धारण के फार्मूले में संशोधन के सम्बन्ध में।</u>**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि:–

यूपीडा द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक कॉरिडोर में भूखण्डों के दर निर्धारण का फार्मूला निदेशक मण्डल की 89वीं बैठक दि0–21.10.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त है। दर निर्धारण का अनुमोदित फार्मूला निम्नवत् है –

(1) भूखण्डों का दर निर्धारण

1. विक्रय योग्य भूमि कुल क्रय भूमि का 60 प्रतिशत या नोडवार प्लानिंग के आधार पर वास्तविक प्रतिशत।
2. भूखण्डों के दर निर्धारण के लिए नोड के आन्तरिक व बाह्य विकास हेतु प्रति हेक्टेयर रू0 1.50 करोड़ की लागत के आधार पर आकलन।
3. विकास कार्य हेतु धनराशि वित्तीय संस्थाओं या अन्य माध्यम से प्राप्त होने पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज को भूमि निर्धारण दर में शामिल किया जाना।
4. भूमि की लागत में ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क मानते हुऐ आगणन किया जाना।
5. प्रशासनिक व आकस्मिक व्यय 12 प्रतिशत
6. 75 प्रतिशत विक्रय भूखण्डों के आवंटन के उपरान्त आधार मूल्य को निवेशकों के रिस्पांस के आधार पर पुर्ननिर्धारित किया जाना।

वन ट्रिलियन इकोनामी के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कम समय में वृहद/अधिक निवेश आकर्षित किये जाने की प्राथमिकता के दृष्टिगत उक्त निर्धारित फार्मूले पर पुनः विचार–विमर्श किया गया। इस क्रम में कम आन्तरिक विकास कार्य के साथ निवेशकों को बल्क लैण्ड पार्सल शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध कराने को ध्यान में रखकर नियोजन व तदनुसार दर निर्धारण किये जाने की आवश्यकता पायी गयी। उक्त के क्रम में भूखण्ड आवंटन की दर निर्धारण का **संशोधित फार्मूला** निम्नानुसार प्रस्तावित है–

1. इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (आई.एम.एल.सी.) के ले–आउट में यथासंभव समस्त भूखण्डों को 1.2 हे. से अधिक क्षेत्रफल के नियोजित किये जाएं, जिसके आधार पर सार्वजनिक ग्रीन एरिया व कामन यूटिलिटी एरिया का आकलन कर विक्रय योग्य भूमि 70 प्रतिशत रखते हुये आगणन किया जाय।
2. इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में समस्त भूखण्डों को 1.2 हे. से अधिक अर्थात् 100 प्रतिशत बड़े प्लाट नियोजित करने की दशा में आन्तरिक विकास कार्य की आवश्यकता कम होगी व मुख्य रूप से बाह्य विकास कार्य किया जाना होगा। इस क्रम में औसत विकास लागत रू0 1.5 करोड प्रति हेक्टेयर रखकर आगणन किया जाये।
3. ग्राम सभा की निःशुल्क प्राप्त भूमि को भूखण्ड आवंटन की दर निर्धारण के आगणन में भारित न किये जाने से, आवंटन दर तुलनात्मकरूप से कम रहेगी, जिसे औद्योगिक निवेश बडी मात्रा में आकर्षित होने की संभावना है।
4. प्रशासनिक व कन्टेंजेंसी मद में 12 प्रतिशत की दर रखते हुए आगणन किया जाय।
5. आन्तरिक व बाह्य विकास कार्यों हेतु शासन की विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत वित्त पोषण. प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत इस मद में ब्याज का आगणन न किया जाये।

भूखण्डों के दर निर्धारण हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित फार्मूले पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की सहमति दि0–20.11.2024 प्राप्त की गयी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित व निदेशक मण्डल

की 89वीं बैठक दि0–21.10.2024 में अनुमोदित इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया यथावत रखी जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाईयों हेतु न्यूनतम रू 7.5 करोड़ प्रति हेक्टेयर निवेश की सीमा निर्धारण का प्रस्ताव।**

उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में भूमि आवंटन हेतु निवेश की प्रति हेक्टेयर न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2062/77–6–20–एल.सी. 32/15 टीसी–2 दिनांक 07 अगस्त, 2020 के द्वारा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा हेतु न्यूनतम रू 7 करोड़ प्रति एकड़ निवेश का मानक निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीसीडा, लीडा एवं सीडा आदि प्राधिकरणों को सम्बोधित है जिसमें यूपीडा व डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर सम्मिलित नहीं है।

उक्त शासनादेश में निर्धारित दर के अनुसार निवेश का मानक रू 17.5 करोड़ प्रति हेक्टेयर होता हैं। रक्षा उद्योगों के अंतर्गत विस्फोटक व इस प्रकार की इकाईयॉ भी सम्मिलित हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग व दुर्घटना से बचाव हेतु कतिपय मानक निर्धारित हैं तथा जिससे रक्षा उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भॉति प्रति हेक्टेयर न्यूनतम निवेश में नहीं रखा जा सकता है। इसके दृष्टिगत अब तक रक्षा क्षेत्र में प्राप्त औसत के आधार पर डिफेंस कॉरिडोर में रू 7.5 करोड़ प्रति हेक्टेयर निवेश की न्यूनतम सीमा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की सहमति के उपरान्त बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड द्वारा डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में रू 7.5 करोड़ प्रति हेक्टेयर निवेश की न्यूनतम सीमा निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार गाईडलाइन के सम्बन्धित प्रस्तर–2.2 Allotment based on objective criteria शीर्षक के अन्तर्गत उपरोक्त निवेश सीमा प्रस्तर 2.2 a के रूप में आत्मसात् किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **(i) घाघरा नदी की जलधारा/बहाव में परिवर्तन (Meandering Effect) के कारण गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–01 में चैनेज 45+980 पर निर्मित घाघरा दीर्घ सेतु (Major Bridge) के ए1 साइड (RHS) के तटबन्ध के क्षतिग्रस्त भाग को तात्कालिक रूप से सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने तथा उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य को कराये जाने हेतु रू0 198.9146 करोड़ के प्रारम्भिक आगणन पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन।**

(ii) उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 को अग्रिम धनराशि के रूप में हस्तानान्तरित किये गये रू0 50/– करोड़ पर मा0 निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ।

यूपीडा निदेशक मण्डल को यह अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव उ०प्र0 शासन लखनऊ/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा गठित अन्तर्विभागीय कमेटी द्वारा दिनांक 05.12.2024 एवं 13.12.2024 को सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कमेटी एवं वाह्य विशेषज्ञ श्री वी.पी. सिंह

सयुंक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), उ0प्र० राजकीय सेतु निगम लिमिटेड व डा० ओझा, प्रोफेसर आईआईटी रुड़की द्वारा सुझाये गये सुरक्षात्मक कार्यों पर तत्काल कार्यवाही को आवश्यक बताया तथा कार्यवाही न होने की दशा में एक्सप्रेसवे के एप्रोच 4 लेन कैरिज–वे एवं तटबंध का पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त/Wash-out होना तय बताया गया। एक्सप्रेसवे की सुरक्षा एवं कार्य की महत्वपूर्णता के दृष्टिगत राज्य सरकार की विषेषीकृत संस्था/उपक्रम(Specialized Agency)उ0प्र० राजकीय सेतु निगम लिमिटेड द्वारा दिनांक 18.12.2024 को मुख्य सचिव उ०प्र0 शासन लखनऊ/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के समक्ष प्रस्तुत किये गये सुरक्षात्मक कार्यों को कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए मा० निदेशक मण्डल द्वारा (i) घाघरा नदी की जलधारा/बहाव में परिवर्तन (Meandering Effect) के कारण गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–01 में चैनेज 45+980 पर घाघरा नदी पर निर्मित दीर्घ सेतु (Major Bridge) के ए1 साइड (RHS) के एप्रोच 4 लेन कैरिज–वे एवं तटबन्ध के क्षतिग्रस्त भाग को तात्कालिक रूप से सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने तथा उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य को कराये जाने हेतु रू0 198.9146 करोड़ के प्रारम्भिक आगणन तथा (ii) उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 को अग्रिम धनराशि के रूप में हस्तान्तरित किये गये रू0 50/– करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त कार्य की शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्य के विस्तृत प्राक्कल को व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.)/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.एफ.ए.डी.) में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

<u>एजेण्डा बिन्दु–07:–</u>

<u>गंगा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त यूपीडा द्वारा निर्मित अन्य एक्सप्रेसवेज़ पर ETH, Zurich कीSpin-Off Company, RTDT Laboratories AG, Zurich द्वाराRiding Quality& Riding Comfort Assessment के कार्यपर होने वाले व्यय कामा0 निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।</u>

निदेशक मण्डल की 89वीं बोर्ड बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त यूपीडा द्वारा निर्मित अन्य एक्सप्रेसवेज़ पर Development of the multi-expressway IT Infrastructure, Setup of a custom user Interface for reporting on multiple expressways and Cloud Storage & computing पर होने वाले व्यय का अनुमोदन आगामी निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त निर्देश के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त यूपीडा द्वारा निर्मित अन्य एक्सप्रेसवेज़ पर ETH, Zurich की Spin-Off Company, RTDT Laboratories AG, Zurich द्वारा Riding Quality & Riding Comfort Assessment के कार्य हेतु होने वाले व्यय का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:–

As per MOU signed between UPEIDA & RTDT Laboratories AG, Zurich					
Sl. No.	**Nature of Work**	**Name of Expressway**	**Invoice No. & Date**	**Total Amount in CHF**	**Remarks**
(A)	<u>ONE TIME COSTS</u> to enable multi-expressway support		20522765-2 Dtd.22.10.2024	21,750	

	Cloud Storage & Computing	Gorakhpur Link		3,289	
			Sub-Total (A)	**25,039**	**Paid on 26/11/2024**
(B)	Cloud Storage & Computing	Bundelkhand		10,656	
		Agra-Lucknow		16,308	
		Purvanchal		18,414	
			Sub-Total (B)	**45,378**	**Payment under process**
			TOTAL IN CHF (A+B)	**70,417**	

i. User Interface of Gorakhpur Link Expressway is under preparation which will be completed by the end of Dec.,2024.
ii. User Interface of Bundelkhand Expressway, Agra-Lucknow Expressway & Purvanchal Expressway will be prepared by RTDT/ETH Universities, Zurich after receiving the payment.
iii. User Interface of these three expressways is targeted to be completed by the end of January,2024.

बोर्ड का निर्णय–निदेशक मण्डल द्वारा Riding Quality & Riding Comfort Assessment के कार्य में होने वाले व्यय को संज्ञान में लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–01 एवं 02 में प्राविधानित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य न कराये जाने (Withdrawal of Rain Water Harvesting Structures Under Clause 8.3.3) हेतु मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन :–**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–01 एवं 02 में प्राविधानित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य न कराये जाने (Withdrawal of Rain Water Harvesting Structures Under Clause 8.3.3) का संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **यूपीडा के निदेशक मंडल की प्रस्तावित 90वीं बैठक हेतु गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत निम्न 02 संस्थाओं को प्रदान की गई समयवद्धियों पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन:–**

(i) पैकेज–1 की ई.पी.सी. कार्यदायी संस्था (मेसर्स एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) को प्रदान की गई सप्तम समयवृद्धि (दिनांक 31.12.2024 तक)।

(ii) राइट्स लि0 (Project Management Consultant cum External Auditor (PMC cum ETA) को प्रदान की गई तृतीय समयवृद्धि (दिनांक 01.10. 2024 से दिनांक 31.12.2024 तक)

यूपीडा निदेशक मण्डल को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया तथा वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत परियोजना के पैकेज–1 का कार्य मार्च–अप्रैल 2025 तक पूर्ण होने की सम्भवना है।

उक्त का संज्ञान लेते हुये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत (i) पैकेज–1 की ई.पी.सी. कार्यदायी संस्था (मेसर्स एपको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) को प्रदान की गई सप्तम समयवृद्धि (दिनांक 31.12.2024 तक) (ii) राइट्स लि0 (Project Management Consultant cum External Auditor (PMC cum ETA) को प्रदान की गई तृतीय समयवृद्धि (दिनांक 31.12.2024 तक) पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज–01 एवं 02 में चेंज ऑफ स्कोप अंतर्गत स्वीकृत कार्यों पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन :–**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–01 एवं 02 में चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V पर स्थित टॉयलेट ब्लाक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख–रखाव हेतु ई–टेन्डर पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर अधिकतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाली एजेंसी के चयन पर अनुमोदन के संबंध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत निम्नवत कराया गया:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V पर स्थापित कुल चार टॉयलेट कम फूड किऑस्क्स के संचालन एवं रख–रखाव हेतु दिनांक 28.06.2024 को ई–टेण्डर पोर्टल पर निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं। तद्क्रम में यूपीडा द्वारा 04 एजेंसियो से आवेदन प्राप्त हुए थे। उक्त चारों एजेंसियों के तकनीकी प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त सभी को तकनीकी रूप से अर्ह पाते हुए 'नामित समिति' द्वारा उनकी वित्तीय निविदायें, निविदा कर्ताओं की उपस्थिति में, दिनांक 13.09.2024 को खोली गयीं थीं।

2. 'नामित समिति' द्वारा **M/s Rajkumar Jaiswal Canteen and Contractor** के पैकेज II एवं III हेतु वित्तीय प्रस्ताव अधिकतम पाये गये थे जबकि **M/s Shobha Trading Company** के पैकेज IV एवं V हेतु वित्तीय प्रस्ताव अधिकतम पाये गये थे। तदानुसार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V पर स्थित टॉयलेट ब्लाक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख–रखाव हेतु अधिकतम पाये जाने के कारण **M/s Rajkumar Jaiswal Canteen and Contractor** एवं **M/s Shobha Trading Company** को निम्न वित्तीय प्रस्ताव पर चयनित किये जाने की संस्तुती प्रदान की गयी थी:–

S. No.	Name of the Highest Bidder	Particulars of 'Toilet Block with Food Kiosk'	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority.
1.	M/s Rajkumar Jaiswal Canteen and Contractor	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package II of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 70+500 (RHS)	**Rs. 75,000.00 (Rupees Seventy Five Thousand only)**
2.	M/s Rajkumar Jaiswal Canteen and Contractor	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package III of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 128+500 (LHS)	**Rs. 55,000.00 (Rupees Fifty Five Thousand only)**
3.	M/s Shobha Trading Company	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package IV of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 179+050 (RHS)	**Rs. 90,551.00 (Rupees Ninety Thousand Five Hundred Fifty One only)**
4.	M/s Shobha Trading Company	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package V of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 224+325 (LHS)	**Rs. 1,30,101.00 (Rupees One Lakh Thirty Thousand One Hundred One only)**

3. उपरोक्तानुसार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V पर स्थित टॉयलेट ब्लाक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख–रखाव हेतु **M/s Rajkumar Jaiswal Canteen and Contractor** एवं **M/s**

Shobha Trading Company को दिनांक 23.09.2024 उक्त कार्य हेतु 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' जारी किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V पर स्थित टॉयलेट ब्लाक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख–रखाव हेतु ई–टेन्डर पोर्टल के माध्यम से चयनित एजेंसियों यथा **M/s Rajkumar Jaiswal Canteen and Contractor** एवं **M/s Shobha Trading Company** के चयन पर यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–12:–</u>

<u>(A) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (Change of Scope) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

<u>(B) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस(Change of Scope Notice) के पश्चात चेन्ज ऑफ स्कोपआर्डर (Change of Scope Order) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

(A) यूपीडा निदेशक मण्डल की 89वीं बोर्ड बैठक के उपरान्त परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की मांग एवं स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत पी0आई0यू0 एवं इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर की संस्तुति के उपरान्त ग्रुप–III एवं ग्रुप– IV के विकासकर्ताओं को कन्सेशन एग्रीमेंट के क्लाज 16.2.1 के अन्तर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस निर्गत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र0सं0	ग्रुप सं0	निर्गत नोटिस की सं0	सम्भावित लागत
1	ग्रुप– III	02	रू0 76.37 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2.102 प्रतिशत)
2	ग्रुप– IV	02	रू0 05.27 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.150 प्रतिशत)
योग		04	रू0 81.64 करोड

(B) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस (सी0ओ0एस0) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के लिये यूपीडा द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं।

i. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में आवश्यकतानुसार उन कार्यों के लिये, जो कि स्कोप ऑफ वर्क में सम्मिलित नहीं थे, कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.1 की व्यवस्था के अन्तर्गत समय–समय पर चेन्ज ऑफ स्कोप के नोटिस निर्गत किये गये थे, जिन्हें निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

ii. आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.2 के अन्तर्गत कन्सेशनायर्स द्वारा इन नोटिसेज की प्राप्ति के उपरान्त इनके निर्माण से परियोजना पर पड़ने वाले प्रभाव एवं कार्य सम्पादन की लागत का आंकलन प्रस्तुत करना होता है एवं तदोपरान्त इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन के बाद चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये जाते हैं।

iii. उपरोक्त प्रस्तर 1 द्वारा उल्लिखित नोटिसेज के संदर्भ में प्रस्तर 2 में वर्णित कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त **ग्रुप–I, II, III एवं IV** हेतु विभिन्न कार्यो के लिये आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.3 के अन्तर्गत निम्नानुसार चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं।

89वीं बोर्ड बैठक में चारों ग्रुप हेतु कुल 12 सी0ओ0एस0 आर्डर जिसमें कार्यों की निर्माण लागत रू0 222,40,36,505.00 सम्मिलित थी, पर अनुमोदन प्रदान किया गया। 89वीं बोर्ड बैठक के उपरान्त निम्नानुसार चेन्ज आफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं:–

क्र0सं0	ग्रुप सं0	निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर की संख्या	कार्यों की निर्माण लागत (रू0)
1	ग्रुप– I	02	62,80,38,939.00
2	ग्रुप– II	02	142,04,01,363.00
3	ग्रुप– III	02	45,94,90,449.00
4	ग्रुप– IV	02	7,52,09,210.00
कुल योग		08	258,31,39,961.00

इस प्रकार अब तक 20 चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर, जिसमें कार्यों की कुल निर्माण लागत रू0 480.72 करोड़ सम्मिलित है, निर्गत किये गये हैं। उपरोक्तानुसार निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस एवं चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर को निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाते हुए अनुमोदन निवेदित है।

बोर्ड का निर्णयः–

(A) यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा निर्गत किये गये ग्रुप– III (02) एवं ग्रुप– IV (02) के कुल 04 चेन्ज ऑफ स्कोप के नोटिसेस को संज्ञान में लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(B) यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा चारों ग्रुप को निर्गत किये कुल 08 चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर (ग्रुप– I 02 न0), (ग्रुप– II 02 न0), (ग्रुप– III 02 न0) एवं (ग्रुप– IV 02 न0), जिसमें सम्मिलित कार्यों की निर्माण लागत रू0 258.31 करोड़ को संज्ञान में लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण से प्रभावित क्रय/अधिग्रहण हेतु अवशेष जनपद बांदा की निजी कृषकों की भूमि आपसी सहमति से क्रय की जाने हेतु जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति द्वारा पारित व मण्डलायुक्त चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा द्वारा अनुमोदित तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को गवर्निंग बोर्ड द्वारा अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।**

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद–बांदा की निजी कृषकों की अवषेष आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति द्वारा दिनांक–20.09.2024 को पारित व मण्डलायुक्त चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा द्वारा 30.10.2024 को अनुमोदित तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक–16.12.2024 को अनुमोदित प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निदेशक मण्डल की 90वीं बैठक हेतु गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपद मेरठ, हापुड़ हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रयागराज में स्वीकृत इन्टरचेंज (COS) एवं परिसम्पत्तियां हेतु आपसी सहमति से अतिरिक्त भूमि क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मुल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ।**

निदेशक मण्डल द्वारा "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" से सम्बन्धित जनपद मेरठ, हापुड़ हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रयागराज में स्वीकृत इन्टरचेंज (COS) एवं परिसम्पत्तियां हेतु आपसी सहमति से अतिरिक्त भूमि क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मुल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।**

निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

1. **वित्तीय वर्ष 2024–25** के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25							
		प्राविधानित धनराशि		प्राविधानित के सापेक्ष शासन स्तर से जारी स्वीकृति		,शासन स्तर से जारी स्वीकृति के सापेक्ष प्राविधानित अवशेष धनराशि		,शासन से मांग	प्राविधानित अवशेष, शासन से मांग के पश्चात
1	2	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	धनराशि	
1	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) परियोजना	40,000.00		5,000.00		35,000.00	-	5,000.00	30,000.00
2	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	21,726.00		15,000.00		6,726.00	-	-	6,726.00
3	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		51,790.00		41,075.26	-	10,714.74	-	10,714.74
4	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		36,124.00		27,093.00	-	9,031.00	-	9,031.00
5	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	30,275.00		20,000.00		10,275.00	-	-	10,275.00
6	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		52,110.00		40,411.80	-	11,698.20		-
7	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		72,400.00		54,261.30	-	18,138.70		18,138.70
8	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	60,000.00		40,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00
9	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		18,529.00		13,177.98	-	5,351.02	-	5,351.02
10	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		18,750.00		14,062.50	-	4,687.50		4,687.50
11	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	45,000.00		9,868.45		35,131.55	-	20,588.97	14,542.58
	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना					-	-		
12	5054–03–337–09–24(वृहत निर्माण)	60,000.00		25,000.00		35,000.00	-	15,000.00	20,000.00
13	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		17,388.00		14,026.65	-	3,361.35	-	3,361.35
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये		18,388.00		13,791.00	-	4,597.00	-	4,597.00

	वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान								
14	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी० जी० एफ० धनराशि	1,00,000.00		1,00,000.00		-	-		-
	अनुपूरक [illegible]ग के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वी० जी० एफ०धनराशि	5,66,400.00		29,000.00		5,37,400.00			5,37,400.00
15	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु GST के अतिरिक्त % व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओ को प्रतिपूर्ति 24–वृहत निर्माण	10,000.00		10,000.00		-	-		
	अनुपूरक मांग के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु GST के अतिरिक्त % व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओ की प्रतिपूर्ति	40,799.00		13,720.00		27,079.00		-	27,079.00
16	चित्रकूट लिंक परियोजना					-	-		-
	5054–03–337–18–24 (वृहत निर्माण)	20,000.00		12,000.00		8,000.00	-	10.00	7,990.00
	5054–03–337–18–60 (भूमि क्रय)	5,000.00		5,000.00		-	-		-
17	आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे को जोडने हेतु नये लिंक एक्सप्रेसवे विकसित किये जाने हेतु					-	-		-
	5054–03–337–18–60 (भूमि क्रय)	50,000.00				50,000.00	-		50,000.00
	योग	10,49,200.00	2,85,479.00	2,84,588.45	2,17,899.49	7,64,611.55	67,579.51	40,598.97	7,79,893.89
	महायोग		13,34,679.00		5,02,487.94		8,32,191.06		

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये आय–व्यय (बजट) अनुमान के सम्बन्ध मे।

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु सम्प्रति यूपीडा द्वारा **क्रियान्वित परियोजनाओं हेतु** अनुदान सं0–007 से आय व्ययक (बजट) अनुमान जिसमे पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना मे धनराशि रू0 159783.00 लाख, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना मे, धनराशि रू0 124837.00 लाख, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना मे धनराशि रू0 68979.00 लाख, आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना मे धनराशि रू0 33700.00 लाख, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना मे रू0 46098.00 लाख, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) मे रू0 684427.00 लाख, चित्रकूट लिंक विकसित किये जाने मे रू0 35085.00 लाख, झांसी लिंक परियोजना मे रू0 276500.00 लाख तथा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे को जोडने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे मे रू0 97000.00 लाख अर्थात कुल रू0 1576409.00 लाख है जिसका विवरण निम्ननवत है–

1. पूर्वान्चल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवें (ग्रीन फील्ड) परियोजना

परियोजना हेतु **वित्तीय वर्ष 2025–26** मे **पूंजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054–03–337–04–24 के अन्तर्गत धनराशि रू0 37373.00 लाख की व्यवस्था शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव में परियोजना के 08 निर्माणकर्ताओं के अनुरक्षण कार्यो के सम्भावित देयक, अथारिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक, सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय, एटीएमएस के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित भुगतान, एजेंसी चार्जेज एवं परियोजना पर प्रचलित आरबिटेसन केस हेतु माननीय Arbitrator तथा अधिवक्ताओ के सम्भावित देयक आदि हेतु धनराषि सम्मिलित है।

उक्त के अलावा **राजस्व व्यय** के लेखाशीर्षक 2852–80–800–15–20 मे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर व्याज धनराशि रू0 50010.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 2852–80–800–21–20 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूल का भुगतान धनराशि रू0 72400 लाख की सहायता हेतु मांगी गयी है।

इस प्रकार पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये **कुल रू0 159783** (37373+ 50010+72400) **लाख** की मांग की गयी है।

2. बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवें परियोजना

वित्तीय वर्ष 2025–26 मे **पूॅजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054–03–337–06–24 के अन्तर्गत धनराशि रू0 31701.00 लाख की व्यवस्था शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव में परियोजना के 06 निर्माणकर्ताओं के अनुरक्षण कार्यो के सम्भावित देयक, अथारिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक, सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय, एटीएमएस के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित भुगतान, एजेंसी चार्जेज आदि हेतु धनराषि सम्मिलित है।
उक्त के अलावा **राजस्व व्यय** के लेखाशीर्षक 2852–80–800–19–20 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवें परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर व्याज धनराशि रू0 53824.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 2852–80–800–25–20 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूल का भुगतान धनराशि रू0 39312.00 लाख मांगी गयी है।
इस प्रकार बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवें परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये **कुल रू0 124837.00** (31701 + 53824+39312) **लाख** की मांग की गयी है।

3- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवें परियोजना

वित्तीय वर्ष 2025–26 मे **पूॅजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054–03–337–07–24 के अन्तर्गत धनराशि रू0 31795.00 लाख की व्यवस्था शासन द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव में परियोजना के निर्माणकर्ताओं के निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण कार्यो के सम्भावित देयक, अथारिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक, सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय, एटीएमएस एवं एजेंसी चार्जेज आदि हेतु का प्राविधान सम्मिलित है।

उक्त के अलावा **राजस्व व्यय** के लेखाशीर्षक 2852–80–800–18–20 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवें परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर व्याज धनराशि रू0 18434 लाख तथा तथा **राजस्व व्यय** के लेखाशीर्षक 2852–80–800–26–20 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूल का भुगतान धनराशि रू0 18750.00 लाख की मांगी गयी है।

इस प्रकार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवें परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये **कुल रू0 68979 (31795 + 18434 +18750) लाख** की मांग की गयी है।

4. आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना

परियोजना हेतु पूॅजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054–03–337–03–24 के अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2025–26 मे** अनुमानित व्यय लगभग रू0 33700 लाख है, जो निम्नवत है:–

PARTICULAR	Amounts in Lacs
Construction of service road from chainage 196+900 to 197+310 (earlier left out work)	200
Fees of Arbitrators, for Advocates and legal Assistant Expenses and Conciliation under	200

Arbitration case in Pkg-2 & 4	
Payment for ATMS	3000
Construction of New Toilet Blocks	2000
Expected payment for Conciliation under Arbitration of Afcons in Pkg-2 & 4	26200
Expected payment of Excess Royalty & VAT to EPC as demand.	2000
Yearly Activation of Emergency landing facility by Indian Air force on Expressway.	100
Total	33700

इस प्रकार परियोजना हेतु **पूंजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054—03—337—03—24 के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिये कुल धनराशि **रू0 33700 लाख** की मांग की गयी है।

5. <u>गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)</u>

वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु **पूँजीगत परिव्यय के**

1. लेखाशीर्षक 5054—03—337—09—24 के अंतर्गत रू0 123274.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अथॉरिटी इंजीनियर के संभावित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्जेज, अनुबंध के अनुसार चेंज ऑफ स्कोप के संभावित देयक सम्मिलित है।
2. लेखाशीर्षक 5054—03—337—17—20 के अंतर्गत रू0 40000 लाख धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में जी0एस0टी0 की दरो मे 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की हुई वृद्धि के फलस्वरूप संभावित देयक का प्राविधान सम्मिलित है।
3. लेखाशीर्षक 5054—03—337—14—24 के अंतर्गत रू0 485100.00 लाख (रू0 377400.00 लाख वित्तीय वर्ष 2024—25 में अवशेष तथा रू0 107700.00 लाख) धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश शासन से वांछित वी.जी.एफ. अनुदान राशि का प्राविधान सम्मिलित है।

उक्त के अलावा **<u>राजस्व व्यय</u>** में

1. लेखाशीर्षक 2852—80—800—22—20 के अर्न्तगत वित्तीय संस्थाओं से लिये गये <u>ऋण पर देय ब्याज</u> हेतु सहायता हेतु धनराशि रू0 17665.00 लाख
2. लेखाशीर्षक 2852—80—800—24—20 के अर्न्तगत वित्तीय संस्थाओं से लिये गये <u>ऋण के मूल का भुगतान</u> हेतु सहायता हेतु धनराशि रू0 18388 लाख मांगी गयी है, जो वित्तीय वर्ष 2025—26 में देय है।

इस प्रकार गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु कुल रू0 293553.00 लाख जिसमे **पूँजीगत व्यय** की मद में वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए कुल रू0 684427.00 (123274+40000+485100) लाख की तथा **राजस्व व्यय** की मद में कुल रू0 36053.00 (17665+18388) लाख की मांग की गयी है।

6. <u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवें के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना</u>

वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए एक्सप्रेसवें के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु कुल रू0 46098. 32 लाख प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव है जिसमे **पूँजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054—03—337—08—24 के अंतर्गत रू0 21098.32 लाख *(जिसमे कैरी ओवर वर्क्स (वित्तीय वर्ष 2023—24 एवं 2024—25 में स्वीकृत कार्य) हेतु रू0 14648.32 लाख, वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुमोदित कार्य योजना के कार्य जो स्वीकृत नही हुये है, हेतु रू0 3450.00 लाख तथा नवीन कार्य*

हेतु रू0 3000.00 लाख) तथा डिफेंस कारिडोर के द्वितीय फेज हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने हेतु पूंजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-08-60 के अंतर्गत रू0 25000.00 लाख (संलग्नक) की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

7. चित्रकूट लिंक विकसित किये जाने हेतु

वित्तीय वर्ष **2025-26** मे **पूँजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054-03-337-16-24 के अंतर्गत रू0 30085.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अथॉरिटी इंजीनियर के संभावित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्जेज आदि के संभावित देयक सम्मिलित है। लेखाशीर्षक 5054-03-337-16-60 के अंतर्गत परियोजना मे भूमि क्रय हेतु रू0 5000.00 लाख की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार चित्रकूट लिंक परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये **कुल रू0 35085.00 (30085 + 5000) लाख** की मांग की गयी है।

8. झांसी लिंक विकसित किये जाने हेतु

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा लेखाशीर्षक 5054-03-337-15-24 (वृहत निर्माण) के अन्तर्गत धनराशि रू0 5000.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 5054-03-337-15-60 (भूमि क्रय) के लिए धनराशि रू0 10000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था परन्तु परियोजना हेतु नियोजित परामर्शी द्वारा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का निर्माण औचित्य की दृष्टि से उपयुक्ता हेतु अर्ह नही पाया गया था तत्तश्चात बजट प्राविधानित धनराषि रू0 15000.00 लाख शासन को समर्पित की गयी। वर्तमान में बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण के गठन हो जाने के पश्चात बीडा औद्योगिक क्षेत्र की बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ एवं दिल्ली तथा अन्य स्थलो तक सुगम संपर्कता हेतु झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु पुर्नविचार प्रस्तावित है।

उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चित्रकूट लिंक परियोजना हेतु **पूँजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054-03-337-15-24 के अंतर्गत धनराशि रू0 175300.00 लाख की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में निर्माण कार्य, अथॉरिटी इंजीनियर के संभावित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्जेज आदि के संभावित देयक सम्मिलित है तथा लेखाशीर्षक 5054-03-337-15-60 (भूमि क्रय) के लिए धनराशि रू0 101200.00 लाख की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार झांसी लिंक परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये **कुल रू0 276500.00 (175300 + 101200) लाख** की मांग की गयी है।

9. एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेष हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु औद्योगिक गलियारा हेतु 28 जनपदो के चिन्हित 29 स्थलों में भूमि क्रय/अर्जन हेतु धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान मे 05 जनपदो यथा हरदोई, सम्भल, बाराबंकी, उन्नाव एवं मेरठ औद्योगिक नोड्स मे अधिग्रहीत का गयी भूमि पर बुनियादी ढांचे के विकास यथा सीएनजी कार्य, आंतरिक सडक निर्माण, सब्स्टेशन का निर्माण कार्य, आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था का कार्य, जल आपूर्ति, अग्निशमन, एरिया ड्रेनेज, सीवरेज ट्रीटमेंट, फायर स्टेशन इत्यादि का कार्य, उक्त के अलावा प्री-फिजीबिलिटी हेतु परामर्शी के संभावित देयक प्रस्तावित है। इस हेतु उक्त 05 जनपदो मे कुल धनराशि रू0 119000.00 लाख का व्यय होना संभावित है, प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 मे धनराशि रू0 50000.00 लाख की आवश्यकता है।

उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025–26 में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरीडोर विकसित किये जाने हेतु **पूँजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054–03–337–13–24 के अंतर्गत धनराशि रू0 50000.00 लाख की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये **कुल रू0 50000 लाख** की मांग की गयी है।

10. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे को जोडने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे विकसित किये जाने हेतु

वित्तीय वर्ष 2025–26 मे **पूँजीगत परिव्यय** के लेखाशीर्षक 5054–03–337–18–24 के अंतर्गत धनराशि रू0 13600.00 लाख की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अथॉरिटी इंजीनियर के संभावित देयक, निर्माण कार्य, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्जेज आदि के संभावित देयक सम्मिलित है।

लेखाशीर्षक 5054–03–337–18–60 के अंतर्गत परियोजना मे भूमि क्रय हेतु रू0 83400.00 लाख की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे को जोडने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये **कुल रू0 97000.00 (13600 + 83400) लाख** की मांग की गयी है।

उक्त के अलावा **नई मांग के रूप** में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई–वे हब की स्थापना के कार्य मे 14400.00 लाख, बुन्देलखण्ड पर ई–वे हब की स्थापना के कार्य मे रू0 7200.00 लाख, आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य मे रू0 107000.00 लाख, बुलन्दशहर होते हुये जेवर एअरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोडने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे का विकास हेतु रू0 441500.00 लाख तथा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हेतु रू0 160495.00 अर्थात रू0 730595.00 लाख है जिसका विवरण निम्नवत है–

1. बुलन्दशहर होते हुये जेवर एअरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोडने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन एकोनोमी के लक्ष्य को त्वरित गति से प्राप्त करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा विश्व स्तरीय इन्फास्ट्रक्चर विकसित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। शासनादेश सं0–77–3099 /73/2023/दिनांक 22.08.2024 के द्वारा बुलन्दशहर होते हुये जेवर एअरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोडने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे का विकास के स्वामित्व एवं कियान्वयन हेतु यूपीडा को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इसी कडी में जेवर एअरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर संपर्क एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे की कुल परिकल्पित लं0 76 कि0मी0 है एवं इसका अन्तिम बिन्दु गंगा एक्सप्रेसवे के चैनेज 44+800 पर परिकल्पित है।

वर्तमान में प्रदेश में यूपीडा के तत्वाधान में निर्मित (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)/ निर्माणाधीन (गंगा एक्सप्रेसवे) पांच में से तीन एक्सप्रेसवे ***पश्चिम से पूरब दिशा में प्रदेश के मध्य*** में संरेखित है। केवल बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर–दक्षिण दिशा में संरेखित हैं। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित संरेखण बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को गंगा–एक्सप्रेसवे तक उत्तर–दक्षिण दिशा विस्तारित कर रहा है। इसी कम में यमुना एक्सप्रेसवे के निकट निर्माणाधीन जेवर एअरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोडा जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार प्रदेश में ***एक्सप्रेसवे की एक ग्रिड अस्तित्व में आ रही है*** जो यातायात को प्रदेश के किसी भी कोने तक बाधा रहित, त्वरित पंहुच उपलब्ध करायेगी।

परियोजना विकास परामर्शी, मे0 रेडिकान द्वारा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के संरेखण हेतु चार विकल्प अध्यन किये गये थे। प्रस्तुत विकल्पों में से न्यूनतम लं0, न्यूनतम भूमि अधिग्रहण एवं न्यूनतम संरचनाओं वाला विकल्प जो जेवर एअरपोर्ट से न्यूनतम दूरी पर प्रारम्भ हो रहा है, उसे चयनित किया गया है।

परियोजना परामर्शी, **में0 ऐडिकान इंडिया लि0** अद्यतन युपीडा के अधिकारयों से विचार विमर्श कर प्रारम्भिक 20 कि0मी0 संरेखण पर मास्टर प्लान के अनुरुप वांक्षित/आवश्यक संरचाओं पर विचार विर्मश किया जा रहा है।

मासान्त फरवरी, 2025 तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रोजक्ट फार्मूलेशन एवं एप्रेजल डिवीजन(पी0एफ0ए0डी), नियोजन विभाग, उ0प्र0"ाासन से अनुमोदित कराया जाना लक्षित है। पी0एफ0ए0डी द्वारा परियोजना की लागत के अन्तिमीकरणोपरान्त मासान्त मार्च, 2025 तक परियोजना को एम्पावर्ड फाइनेन्स कमेटी (ई0एफ0सी0) से अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमन्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वायबिलिटी गैप फडिंग के अन्तर्गत प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को मासान्त फरवरी, 2025 तक प्रस्ताव प्रेषित किया जाना लक्षित है। ई0एफ0सी0 द्वारा परियोजना की लागत के अनुमादनोपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्गत वायबिलिटी गैप फडिंग के निर्देशानुसार निविदा प्रकिया संस्थ्त किया जाना प्रस्तावित है।

<u>कियान्वयन कार्यकम का टाइम शिड्यूल एवं कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथिः–</u>

1. विस्तृत–परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का गठन – मासान्त जनवरी,2025
2. प्रोजक्ट फार्मूलेशन एवं एप्रेजल डिवीजन(पी0एफ0ए0डी), नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा परियोजना लागत का अनुमोदन –मासान्त फरवरी ,2025
3. एम्पावर्ड फाइनेन्स कमेटी (ई0एफ0सी0) से अनुमादन – मासान्त, अप्रेल,2025
4. भारत सरकार द्वारा वी0जी0एफ0 स्कीम के अन्तर्गत परियोजना का अनुमोदन – मासान्त, मई,2025
5. परियोजनान्तर्गत वांक्षित भूमि अधिग्रहण – मई, 2025–जुलाई,2025
6. परियोजनान्तर्गत कन्सेशनायर का चयन – मासान्त,अगस्त,2025
7. कन्सेशनायर द्वारा फाइनेन्शियन क्लोजर एवं कार्य प्रारम्भ – फरवरी, 2026

<u>निहित कुल व्ययः</u>– जेवर एअरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2025–26 में अनुमानित व्यय निम्न तालिका में दर्शित हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना की मद	वर्ष 2025–26 में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या – 007 के अन्तर्गत अनुमानित मांग
1	2	3
1.	भूमि अधिग्रहण	4,00000.00
2	यूटिलिटी शिफ्टिंग संबंधी कार्य	15000.00
3	मार्ग निर्माण संबंधी कार्य	25000.00
4	एजेन्सी चार्जेज, सुपरवीजन चार्जेज आदि	1500.00
	कुल धन की आवश्यकता :–	**4,41500.00**

अतः वित्तीय वर्ष 2025–26 मे बुलन्दशहर होते हुये जेवर एअरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोडने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे का विकास हेतु धनराशि <u>रू0 4,41500.00 लाख की नयी मांग</u> की टिप्पणी प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

2. **<u>फरूखाबाद होते हुये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे से जोडे जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे</u>**

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन एकोनोमी के लक्ष्य को त्वरित गति से प्राप्त करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। शासनादेश सं0–77–3099 /73/2023/दिनांक 20.06.2024 के द्वारा फरूखाबाद होते हुये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे से जोडे जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे के स्वामित्व एवं कियान्वयन हेतु यूपीडा को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इसी कडी में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से वाया फरुंखाबाद जोडा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का प्रारम्भिक बिन्दु आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे फर्रूखाबाद जनपद मे मोहम्मदाबाद विकासखण्ड अवस्थित नीमकरौरीधाम के निकट से होता हुआ गंगा एक्सप्रेसवे पर सवायजपुर, जनपद हरदोई पर समाप्त होना प्रस्तावित है एवं इसकी अनुमानित लं0 लगभग 93 कि0मी0 है।

वर्तमान में प्रदेश में यूपीडा के तत्वाधान में निर्मित (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)/ निर्माणाधीन (गंगा एक्सप्रेसवे) पांच में से तीन एक्सप्रेसवे ***पश्चिम से पूरब दिशा में प्रदेश के मध्य*** में संरेखित है। केवल बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर–दक्षिण दिशा में संरेखित हैं।

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित संरेखण बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को गंगा–एक्सप्रेसवे तक उत्तर–दक्षिण दिशा विस्तारित कर रहा है। इस प्रकार प्रदेश में ***एक्सप्रेसवे की एक ग्रिड अस्तित्व में आ रही है*** जो यातायात को प्रदेश के किसी भी कोने तक बाधा रहित, त्वरित पंहुच उपलब्ध करायेगी।

परियोजना विकास परामर्शी, मे0 रेडिकान द्वारा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के संरेखण हेतु तीन विकल्प अध्यन किये गये थे। प्रस्तुत तीन विकल्पों में से न्यूनतम भूमि अधिग्रहण एवं न्यूनतम संरचनाओं वाले विकल्प को चयनित किया गया है।

उक्त कार्य परियोजना परामर्शी, द्वारा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की विस्तृत–परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का गठन अन्तिम चरण में है। माह दिसम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह में इसे प्रोजक्ट फार्मूलेशन एवं एप्रेजल डिवीजन(पी0एफ0ए0डी), नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन के पास परीक्षणार्थ भेजना लक्षित है।

पी0एफ0ए0डी द्वारा परियोजना की लागत के अन्तिमीकरणोपरान्त मासान्त जनवरी, 2025 तक परियोजना को एम्पावर्ड फाइनेन्स कमेटी (ई0एफ0सी0) से अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

पी0डी0सी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्शानुसार परियोजना की अनुमन्यता भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वायबिलिटी गैप फडिंग अन्तर्गत अनुमन्यता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

ई0एफ0सी0 द्वारा परियोजना की लागत के अनुमादनोपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्गत वायबिलिटी गैप फडिंग के निर्देशानुसार निविदा प्रक्रिया संस्थ्त किया जाना प्रस्तावित है।

<u>कियान्वयन कार्यकम का टाइम शिड्यूल एवं कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि:–</u>

1. विस्तृत–परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का गठन –दिसम्बर, 2024 प्रथम सप्ताह
2. प्रोजक्ट फार्मूलेशन एवं एप्रेजल डिवीजन(पी0एफ0ए0डी), नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा परियोजना लागत का अनुमोदन–मध्य जनवरी,2025

3. एम्पावर्ड फाइनेन्स कमेटी (ई0एफ0सी0) से अनुमादन – मासान्त, फरवरी, 2025
4. भारत सरकार द्वारा वी0जी0एफ0 स्कीम के अन्तर्गत परियोजना का अनुमोदन – मासान्त, अप्रेल, 2025
5. परियोजनान्तर्गत वांक्षित भूमि अधिग्रहण – अप्रेल, 2025–जून,2025
6. परियोजनान्तर्गत कन्सेशनायर का चयन – मासान्त,जुलाई, 2025
7. कन्सेशनायर द्वारा फाइनेन्शियन क्लोजर एवं कार्य प्रारम्भ – जनवरी, 2026

<u>प्रस्ताव का वित्तीय उपाशय :–</u>

<u>निहित कुल व्यय</u>:–आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे (चैनेज 133+800), से गंगा एक्सप्रेसवे (चैनेज 282+845), कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2025–26 में अनुमानित व्यय निम्न तालिका में दर्शित है:–

क्र0 सं0	परियोजना की मद	वर्ष 2025–26 में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या –007 के अन्तर्गत अनुमानित मांग (धनराशि रू0 लाख में)
1	2	3
1.	भूमि अधिग्रहण	103995.00
2	यूटिलिटी शिफ्टिंग संबंधी कार्य	15000.00
3	मार्ग निर्माण संबंधी कार्य	40000.00
4	एजेन्सी चार्जेज, सुपरवीजन चार्जेज आदि	1500.00
	कुल धन की आवश्यकता :–	**160495.00**

अतः वित्तीय वर्ष 2025–26 मे फरूखाबाद होते हुये <u>आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे से जोडे जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे हेतु धनराशि रू0 160495.00 लाख की नयी</u> मांग का प्रस्ताव है।

3. **<u>आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य</u>**

अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–1465/77–3–2024–1771759 दिनांक 04.11.2024 द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के आगामी 05 वर्षो के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु कुल रू0 1949.00 करोड की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

यह भी अवगत कराना है आगरा से लखनऊ तक 302 कि0मी0 प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ई0पी0सी0 पद्वति पर 05 पैकेजो में विभक्त कर वर्ष 2015 से 2018 के मध्य कराया गया, एक्सप्रेसवे का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018 में पूर्ण हो गया था तत्पश्चात 05 वर्षो तक ई0पी0सी0 कन्ट्रेक्टर द्वारा अनुरक्षण किया गया है इसकी अनुरक्षण अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 को समाप्त हो गयी है। एक्सप्रेसवे पर यातायात हेतु सुरक्षित रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्य किया जाना है। इस हेतु एक्सप्रेसवे के आगामी 05 वर्षो के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु अनुबन्धित कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव जिसमें समान रखरखाव एवं सडक की सर्फेस कन्डीशन को ध्यान में रखते हुये पूरे मार्ग पर सतह का नवीनीकरण करने के लिए 01 लेयर ओवर ले तथा वृक्षारोपण अनुरक्षण का कार्य किया जाना है। जिसमें नियमित अनुरक्षण, आश्यकता अनुसार ओवर–ले एवं अन्य कार्य, वृक्षारोपण अनुरक्षण, आकस्मिक व्यय, सुपरवीजन चार्जेज, एजेन्सी चार्जेज तथा रोड शेफ्टी ऑडिट हेतु धनराशि सम्मिलित है।
उक्त उदेदश्यों की पूर्ति हेतु परियोजना मे चयनित परामर्शी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार 2025–26 से 2029–30 तक समान्य अनुरक्षण, वृक्षारोपण अनुरक्षण, अन्य कार्य आदि हेतु निविदा के माध्यम से ई0पी0सी0 पद्वति पर ठेकेदार का चयन कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

योजना के कियान्वयन सम्बन्धी कार्यकम की रूपरेखाः–वर्ष 2025–26 में समयावृति अनुरक्षण के अन्तर्गत एक लेयर ओवर ले द्वारा नवीनीकरण एवं 2025–26 से 2029–30 तक समान्य अनुरक्षण, वृक्षारोपण अनुरक्षण, अन्य कार्य आदि अनुरक्षण हेतु निविदा के माध्यम से ई0पी0सी0 पद्वति पर ठेकेदार का चयन कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

कियान्वयन कार्यकम का टाइम शिडयूल एवं कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथिः–

समयावृति अनुरक्षण– 2025–26

सामान्य अनुरक्षण– 2025–26 से 2029–30

प्रस्ताव का वित्तीय उपाशय :–

निहित कुल व्ययः– आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु उपरोक्त शासनादेश के द्वारा कुल रू0 1949.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति है जिसमें नियमित अनुरक्षण, आवश्यकता अनुसार ओवर–ले एवं अन्य कार्य, वृक्षारोपण अनुरक्षण, आकस्मिक व्यय, सुपरवीजन चार्जेज, एजेन्सी चार्जेज तथा रोड शेफ्टी ऑडिट हेतु धनराशि सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष–2025–26 में होने वाले व्यय निम्नानुसार है

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना की मद	वर्ष 2025–26 में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या –007 के अन्तर्गत अनुमानित मांग
1	2	3
1.	नियमित अनुरक्षण	12400
2	आश्यकता अनुसार ओवर–ले एवं अन्य कार्य	90000
3	वृक्षारोपण अनुरक्षण,	1000
4	एजेन्सी चार्जेज, आदि	3000
5	सुपरवीजन चार्जेज,	600
	कुल धन की आवश्यकता :–	**107000**

अतः वित्तीय वर्ष 2024–25 में आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य किये जाने हेतु धनराशि रू0 107000 लाख की नयी मांग का प्रस्ताव है।

4. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर ई–वे हब की स्थापना किये जाने हेतु

अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ई0पी0सी0 पद्धति पर कराया गया है। एक्सप्रेसवे का लोकार्पण दिनांक 16.07.2022 को होने के पश्चात् इस एक्सप्रेसवे पर यातायात आवागमन निर्बाध गति से चल रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे का अनुरक्षण कार्य ई0पी0सी0 ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।

एक्सप्रेसवे पर जनसुविधा हेतु जनसुविधा परिसरों का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु प्राप्त स्वीकृति में जनसुविधा परिसरों का निर्माण कार्य सम्मिलित नही था। जनसुविधा परिसरों के निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण मद में निर्गत धनराशि से 10 हे0 प्रति परिसर के आधार पर 04 स्थानों पर पूर्व में भूमि क्रय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं वर्तमान में यूपीडा के स्वामित्व में भूमि उपलब्ध है।

जनसुविधा परिसरों के निर्माण हेतु 04 स्थलों में प्रत्येक स्थल पर उपलब्ध 10 हेक्टे0 भूमि को छोटे भूखण्डों में विभक्त करते हुये पी0पी0पी0 मोड पर ई–वे हब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस मोड में भूमि निविदा के माध्यम से चयनित आवेदको को लीज–रेन्ट के आधार पर आवंटित की जानी है। परिसर के विकास हेतु आवश्यक मार्गों, ड्रैनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था आदि कार्य यूपीडा द्वारा किये जाने प्रस्तावित है।

जनसुविधा परिसर के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परियोजना परामर्शी का चयन करके विभिन्न विकल्प प्राप्त किये गये थे। एक स्थल पर उपलब्ध पूरी 10 हेक्टे0 भूमि को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित करने के लिए पूर्व में आमंत्रित निविदाओं में कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण परिसर को छोटे भूखण्डों में विभक्त करते हुये पी0पी0पी0 मोड पर लीज–रेन्ट आधार पर ई–वे हब की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित की गई हैं। सम्बन्धित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा आर0एफ0पी0 के अनुसार परिसर के इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य यूपीडा द्वारा कराया जाना सम्मिलित है।

<u>योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम की रूपरेखा:–</u>

वर्ष 2025–26 में निविदा के माध्यम से चयनित ठेकेदारो द्वारा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

<u>क्रियान्वयन कार्यक्रम का टाइम शिड्यूल एवं कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि:–</u>

वर्ष 2025–26 में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

निहित कुल व्यय:– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर 04 स्थलों पर ई–वे हब की स्थापना हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों की अनुमानित लागत रू0 18 करोड़ प्रति स्थल ऑकलित की गई है। 04 परिसरों हेतु कुल रू0 72.00 करोड़ का व्यय वर्ष 2025–26 में अनुमानित है।

अतः वित्तीय वर्ष 2025–26 मे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर ई–वे हब की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि रू0 7200 लाख की नयी मांग का प्रस्ताव है।

5. <u>पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई–वे हब की स्थापना के कार्य किये जाने हेतु</u>

अवगत कराना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण ई०पी०सी० पद्धति पर कराया गया है। एक्सप्रेसवे का लोकार्पण दिनांक 16.11.2021 को होने के पश्चात् इस एक्सप्रेसवे पर यातायात आवागमन निर्बाध गति से चल रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे का अनुरक्षण कार्य ई०पी०सी० ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर जनसुविधा हेतु जनसुविधा परिसरों का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु प्राप्त स्वीकृति में जनसुविधा परिसरों का निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जनसुविधा परिसरों के निर्माण हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण मद में निर्गत धनराशि से 10 हे0 प्रति परिसर के आधार पर 08 स्थानों पर पूर्व में भूमि क्रय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं वर्तमान में यूपीडा के स्वामित्व में भूमि उपलब्ध है।

जनसुविधा परिसरों के निर्माण हेतु 08 स्थलों में प्रत्येक स्थल पर उपलब्ध 10 हेक्टे० भूमि को छोटे भूखण्डों में विभक्त करते हुये पी०पी०पी० पद्धति पर ई–वे हब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस पद्धति में निविदा के माध्यम से चयनित आवेदकों को लीज–रेन्ट के आधार पर, भूमि आवंटित की जानी है। परिसर के विकास हेतु आवश्यक मार्गों, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था आदि कार्य यूपीडा द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

जनसुविधा परिसर के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परियोजना परामर्शी का चयन करके विभिन्न विकल्प प्राप्त किये गये थे। एक स्थल पर उपलब्ध पूरी 10 हेक्टे० भूमि को पी०पी०पी० पद्धति पर विकसित करने के लिए पूर्व में आमंत्रित निविदाओं में कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण परिसर को छोटे भूखण्डों में विभक्त करते हुये पी०पी०पी० पद्धति पर लीज–रेन्ट आधार पर ई–वे हब की स्थापना हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई हैं। सम्बन्धित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा आर०एफ०पी० के अनुसार परिसर के इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य यूपीडा द्वारा कराया जाना सम्मिलित है।

<u>योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यकम की रूपरेखा:–</u>

वर्ष 2025–26 में निविदा के माध्यम से चयनित ठेकेदारो द्वारा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

<u>क्रियान्वयन कार्यक्रम का टाइम शिड्यूल एवं कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि:–</u>

वर्ष 2025–26 में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

निहित कुल व्ययः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 08 स्थलों पर ई–वे हब की स्थापना हेतु आवश्यक इन्फास्ट्रक्चर कार्यों की अनुमानित लागत रू0 18.00 करोड़ प्रति स्थल ऑकलित की गई है। 08 परिसरों हेतु कुल रू0 144.00 करोड़ का व्यय वर्ष 2025–26 में अनुमानित है।

अतः वित्तीय वर्ष 2025–26 मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई–वे हब की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि रू0 14400 लाख की नयी मांग की टिप्पणी प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

इस प्रकार क्रियान्वित परियोजनाओं तथा नई मांग की कुल धनराशि **रू0 2307004.00 लाख** है **जिसे बजट से वर्ष 2025–26 में** नियोजन विभाग से परिव्यय स्वीकृति एवं वित्त विभाग से बजट स्वीकृति संस्तुति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है।

लेखा प्रभाग के एजेण्डा बिन्दु–15 के उपरोक्त सभी परियोजनावार उप बिन्दुओं का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–16:–</u> **<u>'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल फीस एकत्र करने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में।</u>**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 10 एम्बुलेन्स, 10 पेट्रोलिंग वाहन एवं 10 पेट्रोल–कम–सेफ्टी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेंसी चयनित किये जाने के लिये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख तैयार कर दिनांक 01.10.2024 को ई–टेंडर पोर्टल के माध्यम से निविदाऐं आमंत्रित की गईं थीं। तद्क्रम में दिनांक 15.10.2024 को आयोजित प्री–बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आवश्यक कोरिजेन्डम दिनांक 22.10.2024 को जारी किया गया था। उक्त आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख तथा कोरिजेन्डम की प्रति निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त के क्रम में निर्धारित तिथि 13.11.2024 को ई–टेंडर पोर्टल पर 04 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुईं थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 14.11.2024 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। उक्त निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोंपरान्त दिनांक 19.09.2024 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में तकनीकी रूप से अर्ह सभी 04 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसके निम्नलिखित विवरण से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया:–

S. No.	Name of Bidders	Total Bid Amount (To be paid by the Bidder to the Authority for the first year of contract inclusive of all taxes including GST)	Rank
1.	M/s Inderdeep Construction Co. Ullhas Nagar, Maharashtra	Rs. 553,69,99,999.00	H-2
2.	M/s Sri Sai Enterprises (Lead Member) in Consortium with Datar Security Service Group (JV), Kurnool, Andhra Pradesh	Rs. 555,66,99,999.00	H-1
3.	M/s Kalyan Toll Infrastructure Ltd. in Consortium with M/s Ankit Tandon Enterprises & Tollways Pvt. Ltd. (JV), Indore	Rs. 492,83,00,000.00	H-4
4.	M/s Eagle Infra India Ltd., Ullhas Nagar, Maharahtra	Rs. 551,83,88,885.00	H-3

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Sri Sai Enterprises (Lead Member) in Consortium with Datar Security Service Group (JV) को नामित समिति के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 16.12.2024 को लेटर ऑफ अवॉर्ड निर्गत किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन, 10 नग एम्बुलेन्स, 12 नग पेट्रोलिंग एवं 10 नग पेट्रोलिंग–कम–सेफ्टी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में उपरोक्तानुसार की गई कृत कार्यवाही, तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख, कोरिजेन्डम तथा उपरोक्तानुसार M/s Sri Sai Enterprises (Lead Member) in Consortium with Datar Security Service Group (JV) के चयन पर निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–17:–

'झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना के विकास हेतु परियोजना विकास एवं डी0पी0आर0 परामर्शी के चयन के संबंध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना के विकास हेतु परियोजना विकास एवं डी0पी0आर0 परामर्शी के चयन के लिए आर0एफ0क्यू–कम–आर0एफ0पी0 का गठन कर ई–टेण्डर पोर्टल पर दिनांक 19.12.2024 को प्रकाशित कर इच्छुक परामर्शियों से निविदायें आमंत्रित की गयीं हैं। निदेशक मण्डल को प्रकाशित आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी अभिलेख की मुख्य विशेषतायें से अवगत कराया गया।

उपरोक्तानुसार 'झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना के विकास हेतु परियोजना विकास एवं डी0पी0आर0 परामर्शी के चयन के लिए गठित आर0एफ0क्यू–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख का संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा उक्त अभिलेख पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–18:–

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे (चैनेज 133+800), कुदरैल (इटावा) से गंगा एक्सप्रेसवे, चैनेज 282+845, कौसिया (हरदोई) तक 6–लेन (8–लेन तक विस्तारणीय), प्रवेश नियंत्रित लिंक एक्सप्रेसवे" वाया फर्रुखाबाद के संबंध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त एक्सप्रेसवे का संरेखण शासन द्वारा दिनांक 05.08.2024 को अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना हेतु चयनित परियोजना विकास परामर्शी (पी0डी0सी0), मे0 रेडिकान इण्डिया लि0 द्वारा स्वीकृत संरेखण पर डी0पी0आर0 तैयार कर ली गयी है। पी0डी0सी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 के अनुसार एक्सप्रेसवे की लम्बाई 90+838 कि0मी0 आ रही है। जिसमें शिविल निर्माण की लागत (1 प्रतिशत लेबर शेस के साथ एवं जी0एस0टी0 रहित) रू0 4837.64 करोड़ आकलित की गई है। भूमि अधिग्रहण हेतु सम्भावित लगागत रू0 11000.00 करोड़ आंकलित है। साथ ही अनुरक्षण, एस्कलेशन, पर्यावरण, युटिलिटी शिफिटिंग, जी0एस0टी0 इत्यादि की लागत 2003.47 करोड़ है। इस प्रकार कुल 7941.11 करोड़ की डी0पी0आर0 शासन को अनुमोदनार्थ दिनांक 18. 12.2024 को प्रेषित कर दिया गया है।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि परियोजना कियान्वयन हेतु उपलब्ध दोनो विकल्पों (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पी0पी0पी0 एवं इन्जीनियरिंग, प्रक्योरमेन्ट, कान्शट्रक्शन, इ0पी0सी0) में इ0पी0सी0 प्रद्धति अधिक उपयुक्त परिलक्षित हो रही है। चेयरमेन बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में एक नोट शासन को प्रेषित किया जाये जिसमें

पी0पी0पी0 वर्शेज इ0पी0सी0 के गुणदोष का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए इ0पी0सी0 प्रद्धति पर परियोजन कियान्वयन की अनुमति शासन से प्राप्त की जाये।

एजेण्डा बिन्दु–19:–

जेवर एअरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर हेतु प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन–फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के संबंध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि पूर्व में एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित संरेखण शासन द्वारा 14.अक्टूबर.2024 को स्वीकृत किया गया था। इस संरेखण में एक्सप्रेसवे का प्रारम्भिक बिन्दु जेवर ऐयरपोर्ट के निकट युमना एक्सप्रेसवे के कि0मी0 48.050 पर रखा गया था। कलान्तर में उद्गम बिन्दु को जेवर एयरपोर्ट के और निकट करने के आशय से उद्गम बिन्दु को युमना एक्सप्रेसवे के कि0मी0 24.8 पर स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि कि0मी0 24+800 पर युमना एक्सप्रेसवे डेवलपमन्ट अथॉरिटी (इडा) द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जो युमना एक्सप्रेसवे एवं चोला रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाले रेलवे लाइन के मध्य लगभग 20 कि0मी0 लम्बाई में परिकल्पित है।

तद्नुसार प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के संरेखण को इडा के अधिकारियों के साथ समनव्य सुनिश्चित करते हुए एक संमेकित संरेखण तैयार कर लिया गया है जिसके पुनरीक्षित स्वीकृति का अनुरोध शासन को प्रेषित है।

बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार समेंकित संरेखण के आर0ओ0डब्लू0 के अतरिक्त औद्योगिक गलियारा विकसित करने के आशय से कतिपय भूखण्डों का चिन्हाकन किया गया है। बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार शीर्घ अति शीर्घ भूमि कय करने के निर्णय पर सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–20:–

इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु भूमि/परिसम्पत्तियों के दर/मूल्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

90वीं बोर्ड बैठक में इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत जनपद–हरदोई में वर्तमान में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत छूटे हुये गाटों, जिनका क्षेत्रफल 1.6240 हे0 तथा जनपद–मेरठ में औद्योगिक गलियारा हेतु अतिरिक्त 15.927 हे0 भूमि प्राप्त करने हेतु दर/मूल्य का प्रस्ताव निदेषक मण्डल से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु–21:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।**

1. **संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिको की यूपीडा में आवश्यकता आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 90 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2024 में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	महाप्रबन्धक (सिविल)	29.07.2024	एक वर्ष	29.07.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
2.	श्री के0के0सिंह विसेन	विशेष कार्याधिकारी	02.10.2024	03 माह	31.12.2024	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
3.	श्री शरद तिवारी	सलाहकार विधि	09.10.2024	06 माह	09.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
4.	श्री भगवानदीन वर्मा	भू–अर्जन अधिकारी	09.10.2024	06 माह	09.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
5.	श्री नरेन्द्र सिंह	भू–अर्जन अधिकारी	09.10.2024	06 माह	09.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
6.	श्री प्रेम पाल सिंह	सुरक्षा अधिकारी	01.10.2024	06 माह	01.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
7.	श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.10.2024	06 माह	01.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
8.	श्री वाई0के0शर्मा	लेखाकार कम कैशियर	30.10.2024	06 माह	30.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
9.	श्री अभिमन्यु कुमार यादव	लेखाकार कम कैशियर	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
10.	श्री रमेश नाथ सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	05.10.2024	06 माह	05.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
11.	श्री सोबरन सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	28.10.2024	06 माह	28.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
12.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	14.09.2024	06 माह	14.03.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
13.	श्री दयाराम यादव	लेखाकार कम कैशियर	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
14.	श्री सीताराम यादव	राजस्व निरीक्षक	25.09.2024	06 माह	25.03.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
15.	श्री शशिकान्त मिश्रा	सुरक्षा अधिकारी	05.10.2024	06 माह	05.04.2025	सं0–3775/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 03.10.2024
16	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नोडल अधिकारी, एक्सप्रेसवेज	22.10.2024	01 वर्ष	22.10.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
17	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	वरिष्ठ भू–अर्जन अधिक	18.11.2024	01 वर्ष	18.11.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
18	श्री शुभम बंसल	आडिटर (टैक्स	10.11.2024	01 वर्ष	10.11.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
19	श्री राज कुमार मिश्रा	प्रबन्धक (सिविल)	25.10.2024		17.02.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
20	श्री शिवा नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2024	06 माह	19.05.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
21	श्री भूपनारायण	लेखाकार कम कैशियर	30.10.2024	06 माह	30.04.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
22	श्री मनोहर सिंह	सुरक्षा अधिकारी	30.10.2024	06 माह	30.04.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
23	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया	सहायक सुरक्षा अधिकार	06.11.2024	06 माह	06.05.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
24	श्री अली शेर खाँ	सहायक सुरक्षा अधिकार	25.11.2024	06 माह	25.05.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
25	श्री ओम प्रकाश सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.10.2024	06 माह	27.04.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
26	श्री वकील सिंह राठी	सहायक सुरक्षा अधिकार	19.11.2024	06 माह	19.05.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024
27	श्री अम्बर लाल वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकार	19.11.2024	06 माह	19.05.2025	सं0–4273/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 28.10.2024

28	श्री दीवान सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	19.11.2024	06 माह	19.05.2025	सं0—4273 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 28.10.2024
29	श्री चुनकू राम पटेल	विशेष कार्याधिकारी, (भू– अर्जन)	03.12.2024	01 वर्ष	03.12.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
30	कर्नल संजय सिंह, (से. नि.)	मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेंस कॉरिडोर)	30.11.2024	01 वर्ष	30.11.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
31	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक विधि	13.11.2024	01 वर्ष	13.11.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
32	श्री अनिल कुमार	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	18.11.2024	06 माह	18.05.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
33	श्री मदन प्रसाद	सुरक्षा अधिकारी	20.11.2024	44 दिन	03.01.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
34	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी,	सहायक सुरक्षा अधिकारी	25.11.2024	06 माह	25.05.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
35	श्री संतोष कुमार सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	25.11.2024	06 माह	25.05.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
36	श्री मान सिंह यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.12.2024	06 माह	01.06.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
37	श्री शिव प्रकाश तिवारी	सहायक सुरक्षा अधिकारी	26.11.2024	06 माह	26.05.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
38	श्री रियाज अहमद	सहायक सुरक्षा अधिकारी	05.12.2024	06 माह	05.06.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
39	श्री शमीम अख्तर सिद्दीकी	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2024	06 माह	19.05.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
40	श्री हशमतुल्लाह सिद्दीकी	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2024	06 माह	19.05.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
41	श्री हिरामन राम	लेखाकार	18.11.2024	06 माह	18.05.2025	सं0—4691 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 22.11.2024
42	कर्नल राजेन्द्र विक्रम सिंह (से.नि.)	महाप्रबन्धक (सिविल)	28.12.2024	01 वर्ष	28.12.2025	सं0—5179 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 18.12.2024
43	श्री अंकित भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	25.12.2024	01 वर्ष	25.12.2025	सं0—5179 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 18.12.2024
44	श्री प्रशान्त मिश्रा	जनसम्पर्क अधिकारी	06.01.2025	01 वर्ष	06.01.2026	सं0—5179 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 18.12.2024
45	श्री प्रभात कुमार अवस्थी	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	30.12.2024	06 माह	30.06.2025	सं0—5179 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 18.12.2024
46	श्री विक्रमजीत सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	29.12.2024	06 माह	29.06.2025	सं0—5179 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 18.12.2024
47	श्री समरेश सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.12.2024	06 माह	29.06.2025	सं0—5179 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 18.12.2024
48	श्री परमात्मा सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	15.01.2025	06 माह	15.07.2025	सं0—5179 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 18.12.2024
49	श्री राम कृष्ण गौड़	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.12.2024	06 माह	02.06.2025	सं0—5179 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 18.12.2024
50	श्री अन्शुमान	महाप्रबन्धक (विद्युत)	11.01.2025	06 माह	11.07.2025	सं0—5214 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 19.12.2024
51	श्री अशोक कुमार	प्रबन्धक (विद्युत)	11.01.2025	06 माह	11.07.2025	सं0—5214 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 19.12.2024
52	सुश्री ऋचा मिश्रा	विधि सलाहकार	09.12.2024	06 माह	09.06.2025	सं0—5214 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 19.12.2024
53	श्री अर्पित अवस्थी	मीडिया सहायक	07.01.2025	06 माह	07.07.2025	सं0—5214 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 19.12.2024
54	श्री मंगरू गुप्ता	अवर अभियन्ता (प्रा0 सिविल)	11.01.2025	06 माह	11.07.2025	सं0—5214 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 19.12.2024
55	श्री देवेन्द्र नाथ	सा0 राजस्व	14.01.2025	06 माह	14.07.2025	सं0—5214 / यूपीडा / 2570 / 22 /

	पाण्डेय	अधिकारी				अधि0 दिनांक 19.12.2024
56	श्री रवीन्द्र शर्मा	ड्राफ्टमैन	07.01.2025	06 माह	07.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
57	श्री राजीव सिन्हा	प्रबन्धक (सिविल)	20.12.2024	06 माह	20.06.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
58	श्री आनन्देश्वर कुमार सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	11.01.2025	06 माह	11.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
59	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	प्रबन्धक (सिविल)	11.01.2025	06 माह	11.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
60	श्री शरद मोहन मल्ल	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	11.01.2025	06 माह	11.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
61	श्री यशपाल सिंह	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	11.01.2025	06 माह	11.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
62	श्री प्रवीण कुमार	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	11.01.2025	06 माह	11.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
63	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.01.2025	06 माह	18.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
64	श्री प्रमोद कुमार सिंह	लेखाकार कम कैशियर	28.12.2025	06 माह	28.06.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
65	श्री विजय सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	29.12.2024	06 माह	29.06.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
66	श्री राधेश्याम सिंह	सुरक्षा अधिकारी	14.01.2025	06 माह	14.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
67	श्री सुदर्शन प्रसाद	सहायक सुरक्षा अधिकारी	10.10.2024	06 माह	10.04.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
68	श्री राम जगत तिवारी	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.10.2024	06 माह	01.04.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024
69	श्री जनमेद शर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	26.01.2025	06 माह	26.07.2025	सं0–5214/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 19.12.2024

2. **यूपीडा में औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। जिनके सम्बन्ध में यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अनुमोदन निदेशक मण्डल की 90 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2024 में प्राप्त किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–**

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण	आदेश दिनांक
1.	श्रीमती निमिषा शर्मा	उप महाप्रबन्धक (वास्तु/नियो0)	15.10.2024	**औद्योगिक विकास अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:–5347/77–4–24–12जीएन/2022(क0सं01813291) दिनांक 18 सितम्बर 2024**

3. **यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जिनकी संविदा सेवा अनुबन्ध समाप्त किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 90 वीं बोर्ड बैठक मे दिनांक 28.12.2024 में प्राप्त किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–**

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	संविदा सेवा समाप्त किये जाने की तिथि
1.	श्री सत्य प्रकाश	सहायक सुरक्षा अधिकारी	**11.11.2024**
2.	श्री पी0पी0 सिंह	**लेखाकार कम ऑडीटर**	**05.12.2024**
3.	श्री रमाशंकर वर्मा	**प्रबन्धक (कम्प्यूटर)**	**20.12.2024**

4. **यूपीडा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारी/कर्मचारी, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 90वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2024 में प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् है:–**

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	योगदान की तिथि	कार्यालय आदेश संख्या
1.	श्री सुनील कुमार सिंह,	विशेष कार्याधिकारी (विधि)	दिनांक 19 नवम्बर 2024 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया	**कार्यालय आदेश संख्या:– 4598/यूपीडा/1949/2020, दिनांक 19 नवम्बर 2024**
2.	श्री सुधीश कुमार शुक्ला	सहायक सुरक्षा अधिकारी	30 अक्टूबर 2024 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया	**कार्यालय आदेश संख्या:– 4241/2168/21/यूपीडा/अधि0, दिनांक 25 अक्टूबर 2024**
3	श्री विकास कुमार	वरिष्ठ सहायक श्रेणी–2	11 अक्टूबर 2022	**कार्यालय आदेश संख्या:– 3054/यूपीडा/2552/22/अधि0, दिनांक 28 अगस्त 2024**

अधिष्ठान प्रभाग के एजेण्डा बिन्दु–21 के उप बिन्दु संख्या–01, 02, 03 व 04 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–22:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के चेंज ऑफ स्कोप के अनुमोदन विषयक।**

(A) Amended Change of Scope (CoS) Order No.-15 for the claim raised by EPC contractor under Article-26 of Contract Agreement regarding cost for construction of Major Bridge in place of Minor Bridge at Ch: 32+920 (provisioned as per contract agreement) on MCW.

(B) Amended Change of Scope (CoS) order no.-15 for the claim raised by EPC contractor under Article-26 of Contract Agreement regarding cost for construction of Major Bridge in place of Minor Bridge at Ch: 99+460 (provisioned as per contract agreement) on MCW.

(C) Amended Change of Scope (CoS) order no.-2, 4, 5, 6, 7, 11 & 13 in Pkg-I and Amended Change of Scope (CoS) order no.-1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16 & 17 in Pkg-II for the claim raised by EPC contractor under Article-26 of Contract Agreement for consideration of steel rate in COS estimates of Bundelkhand Expressway.

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उक्त तीनों प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–23:– **एकीकृत दर अनुसूची (Integrated SOR) को यूपीडा द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं के आगणनों के गठन में प्रयोग किये जाने हेतु।**

उ०प्र० शासन के सभी विभागो द्वारा राजकीय निर्माण कार्यो के लिए उपयोग किये जाने हेतु प्रदेश में एकीकृत दर अनुसूची (Integrated SOR) निर्गत की गई है, जिसमें SOR का चैप्टर–1 Material, Labour, Machinery एवं Cartage की दरों का प्रदेश स्तर पर सभी निर्माण विभागों, एंजेन्सियों के प्रयोगार्थ निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:–

1- MoRT&H द्वारा निर्गत Standard Data Book-2019 के Input List (Labour, Plant & Machinery, व Material) की दरों का निर्धारण एकीकृत दर अनुसूची में किया गया है, जिनकी आंकलित दरें प्रस्तावित है।

2- MORD Data Book-2004 में Input (Labour, Plant & Machinery एवं Material) की दरों का निर्धारण एकीकृत दर अनुसूची में किया गया है, जिनकी आंकलित दरें प्रस्तावित है।

3- भवन कार्यों हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत Analysis of Rates को भवन निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग में दिनांक 10.10.2023 से अंगीकृत किया जा चुका है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत DSR-2023 में भी विभिन्न निर्माण सामग्रियों की ढुलाई की दरें निर्गत हैं। इस हेतु लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत DSR-2023 के पृष्ठ संख्या–79 से 88 तक की दरों को 0.639 Factor के साथ Without GST, Labour Cess एवं CP & OH की दरें प्राप्त कर प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

नियोजन अनुभाग–1, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या–3031/सामान्य/तकनीकी सेल/2024 दिनांक 24.09.2024 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०) के पत्रांक–387/कैम्प–प्र०अभि०(परि०/नि०)24/(भवन) दिनांक 25.10.2024 द्वारा प्रदेश स्तर पर सभी निर्माण विभागों, एजेन्सियों के प्रयोगार्थ एकीकृत दर अनुसूची को प्रदेश में दिनांक 01.11.2024 से लागू किया गया है।

उक्त एकीकृत दर अनुसूची (Integrated SOR) को यूपीडा द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं के आगणनों के गठन में प्रयोग किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.2024 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त एकीकृत दर अनुसूची (Integrated SOR) को निदेशक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–24:– **यूपीडा द्वारा सभी एक्सप्रेसवेज की गुणवत्ता की जाँच के लिए क्रय की गई इनोवा वाहन चालक की संविदा पर नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में संविदा के आधार पर 01 वाहन चालक की आवश्यकता है जिसे विशेष तकनीकी प्रकृति के यन्त्र/उपकरण के साथ संचालित करने की जानकारी हो, उक्त पद पर तैनाती 06 माह के लिए की जायेगी, जिसे प्राधिकरण की आवश्यकतओं के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

विज्ञापन प्रकाशित होने के 07 दिनों के भीतर वाहन चालक के पद के लिए अपना आवेदन, शैक्षित योग्यता तथा 02 वर्ष के कार्य अनुभव सहित समस्त आवश्यक शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ यूपीडा कार्यालय मे उपलब्ध कराने के लिए विज्ञापन समाचार पत्र मे प्रकाशित किया गया है। उक्त वाहन चालक की दक्षता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जायेगा तथा भविष्य मे इसे दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा द्वारा सभी एक्सप्रेसवेज की गुणवत्ता की जाँच के लिए क्रय की गई इनोवा वाहन चालक की संविदा पर नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– **औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) में नियुक्त/तैनात किये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वाराऔद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) में नियुक्त/तैनात किये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा एवं अलीगढ़ नोड फेज–02 में भू–खण्ड आवंटन की दर निर्धारण के सम्बन्ध में।**

डिफेन्स नोड आगरा का भू–अर्जन न होने के कारण इस नोड का निर्धारण अभी तक नही हुआ है। निवेशकों की अभिरूचि के कारण इस नोड पर पूर्व चिह्नित 41 हे0 भूमि के स्थान पर 81 हे0 अतिरिक्त भूमि चिह्नित कर कुल 123 हे0 के सापेक्ष वर्तमान में 80 प्रतिशत से अधिक चिह्नित भूमि क्रय की जा चुकी है। डिफेन्स नोड अलीगढ़ प्रथम फेज के समस्त भू–खण्डों का आवंटन हो चुका है, परन्तु अलीगढ़ में निवेशकों की रूचि के कारण अलीगढ़ में द्वितीय फेज में पृथक स्थल पर भूमि चिह्नित कर 80 प्रतिशत से अधिक भूमि क्रय की जा चुकी है। इस क्रम में उक्त नोड हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर व निवेश मित्र पोर्टल पर ले–आउट अपलोड कर निवेशकों को आमंत्रित किये जाने के लिये दर निर्धारण आवश्यक है। इस क्रम में वित्त नियंत्रक, यूपीडा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 29.10.2024 को बैठक कर प्रस्तुत आख्या का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है :–

1. निदेशक मण्डल की 44वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.02.2019 में डिफेन्स कॉरिडोर हेतु आवंटन गाईडलाइन अनुमोदित है, उक्त गाइडलाइन के प्रस्तर–6 में दर निर्धारण हेतु निम्नानुसार फॉर्मूला निर्धारित है:–

   Fixation of cost of Land for Industrial Plots other than Anchor Defence and Aerospace Units as defined under Uttar Pradesh Defence and Aerospace Units and Employment Promotion policy (First Amendment) 2019

   The cost of land for other than anchor unit will be calculated as:

   Total Cost (**"A"**) for the applicant =**"B"** + **"C"**
   "B"= Purchase price of land (by UPEIDA)
   "C"= Development Charges (2% of B as defined above)

   इस क्रम में यूपीडा द्वारा लखनऊ, झाँसी, कानपुर, चित्रकूट व अलीगढ़ (फेज–01) का दर निर्धारण, पूरे नोड के समस्त क्षेत्रफल की भूमि को क्रय की जाने वाली लागत के आधार पर प्रति हे0 लागत का आकलन कर 02 प्रतिशत विकास शुल्क सम्मिलित करते हुए किया गया है।

2. इस क्रम में आगरा व अलीगढ़ फेज–2 के परिसम्पत्तियों सहित भूमि क्रय स्टॉम्प निबंधन व अन्य व्यय को सम्मिलित करते हुये कुल व्यय का विवरण भू–अर्जन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस

आधार पर उक्त निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार अलीगढ़ फेज–02 एवं आगरा नोड की दरों का आगणन निम्नवत है:–

Node	Aligarh (Phase-02)	Agra
Total Area (in Hect.)	**87.888**	**129.1351**
Purchase Price of Land	2,41,57,39,879.00	2,42,74,99,872.00
Development Cost @2%	4,83,14,798.00	4,85,49,997.00
Total Cost	**2,46,40,54,677.00**	**2,47,60,49,869.00**
Land Cost Per Hect. (based on total Area)	2,80,36,304.00	1,91,74,104.00
Land Cost Per Sqmt. (based on total Area)	**2,804.00**	**1,917.00**

3. उपरोक्तानुसार दर आगणित किये जाने में नोड की पूरी भूमि क्रय किये जाने में व्यय धनराशि व 100 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि के आधार पर प्रति हे0 लागत का औसत निकाला गया है, जब कि वास्तव में विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत या इससे कम प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार भूमि क्रय की लागत से आवंटन के उपरान्त कम धनराशि प्राप्त हो रही है। इस प्रकार यूपीडा द्वारा भूमि क्रय हेतु जितना व्यय किया गया है, वह धनराशि भी विक्रय उपरान्त यूपीडा को प्राप्त नही हो रही है, जिस कारण यूपीडा पर अतिरिक्त व्यय भार आ रहा है।

    डिफेन्स नोड के भूमि क्रय की निरन्तरता बनाये रखने हेतु विक्रय योग्य भूमि के आधार पर प्रति हे0 भूमि क्रय का औसत निकाला जाना उचित होगा। इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की भाँति डिफेन्स कॉरिडोर के अन्तर्गत भी कुल क्रय की गयी भूमि का 70 प्रतिशत भाग विक्रय योग्य भूमि मानते हुये दर निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

4. डिफेन्स कॉरिडोर में भूमि आवंटन सम्बन्धी उपरोक्त गाईडलाइन के स्थान पर वर्तमान में डिफेन्स व इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु नयी गाईडलाइन निदेशक मण्डल की 88वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.06.2024 में अनुमोदित की जा चुकी है, जिसमें दर निर्धारण का कोई उल्लेख नही है।

    उपरोक्त के दृष्टिगत अलीगढ़ फेज–02 एवं आगरा नोड पर कुल उपलब्ध भूमि का 70 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि के अनुसार गणना निम्नवत् है:–

Node	Aligarh (Phase-02)	Agra
Total Area (in Hect.)	87.888	129.1351
Saleable Area @**70%**	**61.5216**	**90.39457**
Purchase Price of Land	2,41,57,39,879.00	2,42,74,99,872.00
Development Cost @2%	4,83,14,798.00	4,85,49,997.00
Total Cost	**2,46,40,54,677.00**	**2,47,60,49,869.00**
Land Cost Per Hect. (based on Saleable Area)	4,00,51,863.00	2,73,91,577.00
Land Cost Per Sqmt. (based on Saleable Area)	**4,005.00**	**2,739.00**

    इस प्रकार अलीगढ़ नोड एवं आगरा नोड के दोनों विकल्पों का समेकित विवरण निम्नवत है–

Node	Aligarh	Agra
Option-1 (Cost on the basis of Board Approved Formula)	2,804.00	1,917.00

Option-2 (Cost on the basis of Saleable Area)	4,005.00	2,739.00

समिति की उक्त आख्या के कम में 70 प्रतिशत विकय योग्य भूमि के आधार पर समानुपातिक करते हुए उस पर 2 प्रतिशत विकास शुल्क प्रस्तावित किया गया है। तद्नुसार आगरा व अलीगढ़ फेज–2 के भूखण्ड दर निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसके अनुसार अलीगढ़ फेज–2 की दर रू 4005/– तथा आगरा नोड हेतु रू 2739/–प्रति वर्गमीटर के आंकलन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा सहमति प्रदान किया गया है। आगरा व अलीगढ़ फेज–2 हेतु उक्तानुसार प्रस्तावित दर को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– **यूपीडा की भूमि आवंटन गाईडलाईन में संशोधन के सम्बन्ध में।**

यूपीडा में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर व इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स **(आई0एम0एल0सी0)** में भूमि आवंटन हेतु नवीन गाईडलाईन, **"General Guideline for procedure for Allotment of Plots and Post Allotment Services by UPEIDA"** को निदेशक मण्डल की 88वी बैठक दि0 13.06.2024 में अनुमोदित किया गया है, जिसके अनुसार यूपीडा में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में भूखण्ड आवण्टन प्रक्रिया व्यहवृत की जा रही है। बोर्ड द्वारा दि0 13.06.2024 को अनुमोदित उपरोक्त भूमि आवंटन की **गाईडलाईन** के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किये गये–

क्र	विषय	वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित संशोधित प्राविधान
1.	लीज रैन्ट भुगतान सम्बन्धी प्रस्तार में संशोधन।	Para 4.1.6 Execution of Lease Deed(s) can be done only after a minimum payment of Allotment Money and one-year Lease Rent, in advance. On the date of execution of the Lease Deed there remains no outstanding amount payable to the UPEIDA whether on account of instalment towards the premium or any other account head whatsoever. Para 4.2.1 (v) In case of failure to deposit the due Lease Rent by the due date, interest of 3.00% p.a. in addition to the prevailing interest rate of UPEIDA (9.50% + 3.00% penal interest = 12.5% p.a.) on the defaulted amount. This rate will change as per interest rate revision by UPEIDA. Para 4.2.1 (viii) The lease rent for the first year shall be payable for the remaining period of the calendar year in which the lease deed is executed on pro-rata basis. Subsequently, the annual lease rent shall be payable in advance on or before 31st December of each calendar year till the duration of the lease. Any default in the payment of annual lease rent on the due date shall bear interest incident at the rate of 9.50% per annum for the defaulted period on daily product basis.	Para 4.1.6 Execution of Lease Deed(s) can be done only after a minimum payment of Allotment Money and Lease Rent, as per para 4.2.1(viii) in advance. On the date of execution of the Lease Deed there remains no outstanding amount payable to the UPEIDA whether on account of instalment towards the premium or any other account head whatsoever. Para 4.2.1 (v) In case of failure to deposit the due Lease Rent by the due date, interest of 9.50% p.a. will be charged over the default period. Para 4.2.1 (viii) The lease rent for the first year shall be payable for the remaining period of the calendar year in which the lease deed is executed on pro-rata basis. Subsequently, the annual lease rent shall be payable in advance on or before 31st December of each calendar year till the duration of the lease. Para 4.2.1 (x) Lease rent as defined in para 4.2.1 (i) will be inclusive of GST.
2.	औद्योगिक यूनिट्स के लिए अर्हता (प्रस्तार–2.1, पेज नं0–4)	All the entities defined as Defence and Aerospace (D&A) sector units, under Uttar Pradesh Defence and Aerospace Units and Employment Promotion Policy 2018 (as amended by Govt. of UP from time to time) and Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 (as amended by Govt. of UP from time to time), will be eligible for allotment of industrial land in the UPEIDA.	All the entities defined as Defence and Aerospace (D&A) sector units, under Uttar Pradesh Defence and Aerospace Units and Employment Promotion Policy 2018 (as amended by Govt. of UP from time to time) and All the entities define as Eligible Industrial undertaking, under Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 (as amended by Govt. of UP from time to time), will be eligible for allotment of industrial land in the UPEIDA.
3.	100 प्रतिशत भुगतान की दशा में छूट (प्रस्तार–2.9)।	Payment options: Option 1: 100% plot premium (including 10% Application Money/Registration Money) within 90 days from the date of issue of Allotment Letter. In such case, 2% rebate will be given on the total premium of the plot. Payment schedule: Option 1: Applicant/Allottee has option to make full and final payment of the total premium of the plot within 90 days from the issue of Allotment Letter. In such case, 2% rebate will be given on the total premium of the plot.	Addition- Since the premium of plot for allotment in IMLCs has been kept at the minimum level with minimum parameters, no rebate on one-time full payment shall be given to allottee in IMLCs.
4.	लोकेशन चार्ज के सम्बन्ध में (प्रस्तार–4.4, पेज नं0–28)।	Location Charges- No location charges for defense corridor nodes of Uttar Pradesh until and unless specifically mentioned by the authority. Location charges may apply in case of IMLC as per prevailing norms which may vary and will be determined by authority. Applicant has to submit location charges along with allotment money, wherever applicable.	Location Charges- No location charges for defense corridor nodes and IMLCs of Uttar Pradesh until and unless specifically mentioned by the authority.

<table>
<tr>
<td>5.</td>
<td>भू-आवंटन समिति (प्रस्तर–1.3, पेज नं0–8)।</td>
<td>Committee
The land allotment committee constituted by the Board of Directors of UPEIDA from time to time will be responsible for land allotments and the matters associated therewith and incidental there to. Currently, its members are as under:
i. ACEO- Chairman
ii. Finance Controller
iii. Chief Engineer
iv. Head Land Acquisition (Defence Corridor)
v. Head,Architecture/Planning (Defence Corridor)
vi. Sr. Advisor (Financial Institutions)
vii. Technical Expert, Defence/ Industrial
viii. OSD, Land Allotment – Member Secretary
The land allotment committee for Defence Corridor and IMLC will be similar barring technical expert and OSD Land allotment.
This Committee may be reconstituted by the CEO with the approval of the Board of UPEIDA as and when required. All decisions of the Land Allotment Committee will be subject to approval of CEO, UPEIDA.</td>
<td>Committee
The land allotment committee constituted by the Board of Directors of UPEIDA from time to time will be responsible for land allotments and the matters associated therewith and incidental there to. Currently, its members are as under:
i. ACEO- Chairman
ii. Finance Controller
iii. CNO, DC/ OIC, IMLC (Member Secretary)
iv. Chief Engineer (DC/ IMLC)
v. Head Land Acquisition (DC/ IMLC)
vi. Head, Architecture/ Planning (DC/ IMLC)
vii. Financial Expert
viii. CGM, DC/ AGM, IMLC
This Committee may be reconstituted by the CEO as and when required. All decisions of the Land Allotment Committee will be subject to approval of CEO, UPEIDA.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>एंकर यूनिट व बिल्डिंग बाईलाज के सम्बन्ध में।</td>
<td></td>
<td>ii. Units claiming exemptions as Anchor/Mega Anchor status shall have to deposit a bank guarantee (BG) equivalent to 25% of land premium in the favour of UPEDIA, which will be released once unit establishes that claimed investment/jobs creation has been achieved. The time frame for investment/jobs creation will be as below:-
<table>
<tr><td>Area of the plot</td><td>Time frame</td></tr>
<tr><td>upto 4000</td><td>36 months</td></tr>
<tr><td>upto 4000 to 20,000</td><td>48 months</td></tr>
<tr><td>above 20,000</td><td>60 months</td></tr>
</table>
iii. All investment and/ or job creation should be done within stipulated timeline as per land allotment guidelines 2024.
iv. Investment on Land will not be included in the eligible capital investment to determine anchor status of applying defence unit.
v. Unit need to submit final draft of building plan as per building byelaws within 60 days of lease deed execution, failing which unit may attract plot cancellation by authority.
vi. Unit need to submit duly signed affidavit by proprietor/authorised signatory on Rs. 100 stamp paper in the prescribed format, before lease deed is executed</td>
</tr>
</table>

इस संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा निम्न निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया–

क्रम संख्या–1 पर प्रस्तावित पैरा 4.2.1 (X) में प्रस्तावित प्राविधान के स्थान पर निम्न प्राविधान रखा जाये–**Lease rent as defined in para 4.2.1 (i) will be exclusive of GST. 18% GST will be charged on lease rent w.e.f. from 30-12-2024 i.e. date of Board decision.**

क्रम संख्या–6 पर एंकर यूनिट के संबंध में प्रस्तर बिन्दु संख्या (ii) पर प्रस्तावित प्राविधान के स्थान पर निम्नानुसार प्राविधान रखा जाये–

Anchor/Mega Anchor units, who are availing 25% of upfront of land subsidy, has to achive the claimed investment/jobs creation accordingly. If investment will not be done as per their claim no Functional Certificate will be issued and the authority will impose a ristriciton on sale/purchase /transfer of unit's land by any means. In addition to that with 9.5% compound intrest upfront land subsidy will be recovered from the capital insentive payble to Anchor/Mega Anchor unit.

उक्त को प्रस्तावित संशोधन में सम्मिलित करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा गाईडलाईन, "**General Guideline for procedure for Allotment of Plots and Post Allotment Services by UPEIDA**" (अनुमोदन दिनांक 13.06.2024) में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया गया।

उपरोक्तानुसार समस्त एजेण्डा बिन्दुओं पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के बाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई तथा उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 30.12.2024 को सम्पन्न हुई 90वीं बोर्ड बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30.12.2024 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीहरि प्रताप शाही)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं
सहायक सदस्य–सचिव, यूपीडा निदेशक मण्डल